

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, 1.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 25/2024-State Tax

Dated: 22/10/2024

No. F.3 (O I)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 343 – In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 read with section 51 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), hereinafter in this notification referred to as the said Act, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi No. 50/2018-State Tax, published in the Gazette of NCT of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(56)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/413 dated 05-09-2019, namely:-

In the said notification,

(i) after clause (c) and before the first proviso, the following clause shall be inserted,-

“(d) any registered person receiving supplies of metal scrap falling under Chapters 72 to 81 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), from other registered person”;

(ii) for the third proviso, the following proviso shall be substituted, namely-

“Provided also that nothing in this notification shall apply to the supply of goods or services or both, which takes place between one person to another person specified under clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-section (1) of Section 51 of the said Act, except the person referred to in clause (d) of this notification.”

2. This notification shall come into force with effect from the 10th day of October, 2024.

Note:- The principal notification [No. 50/2018- State Tax], was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, sub-section (i) vide number F.3 (56)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/413 dated 05-09-2019 and last amended vide notification No. 73/2018-State Tax, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (58)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/511, dated 24th October, 2019.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,


(Ravinder Kumar)
Jt. Secretary (Exp.-I)

No. F.3 (01)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 343

Dated: 22/11/2025

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
3. The Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
5. S.O to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
7. The Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
9. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.


(Ravinder Kumar)
Jt. Secretary (Exp.-I)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या-25/2024-राज्य कर

दिनांक: 22/8/2025

सं.फा.3(01)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/343 : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 का 03) जिसे इस अधिसूचना में आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 51 के साथ पठित धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में, सं.फा.03(56)/वित्त(व्यय-I) 2019-20/डीएस-VI/413, तारीख 05 सितंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अधिसूचना संख्या 50/2018-राज्य कर, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में,

(i) खंड (ग) के पश्चात् तथा प्रथम परन्तुक से पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित की जाएगी,-

“(घ) कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो अन्य किसी पंजीकृत व्यक्ति से, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 72 से 81 के अंतर्गत आने वाले, धातु स्क्रेप की आपूर्ति, प्राप्त करता है”

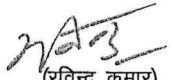
(ii) तीसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा,-

“परन्तु इस अधिसूचना में कोई भी बात, उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) के अन्तर्गत इस अधिसूचना के खण्ड (घ) को छोड़कर, निर्दिष्ट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच होने वाली वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी।”

2- यह अधिसूचना 10 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगी।

नोट:- मुख्य अधिसूचना सं. 50/2018- राज्य कर,, दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3 उप-खंड (i) में सं.फा.03(56)/वित्त(व्यय-I) 2019-20/डीएस-VI/413, तारीख 05 सितंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 73/2018- राज्य कर, दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उप-खंड (i) में सं.फा.03(58)/वित्त(व्यय-I)/2019-20/डीएस-VI/511, दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर


(रविन्द्र कुमार)

संयुक्त सचिव (व्यय-I)

सं.फा.3(01)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/343

दिनांक: 22/8/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

- 1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- 2 माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 3 माननीय वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 4 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 5 मुख्य सचिव के कर्मचारी अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- 7 अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
- 9 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 10 निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 11 वेब साईट।
- 12 गार्ड फाइल।


(रविन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव (व्यय-I)

4